निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :— 02/2025 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :— 02/01/2025
निर्णय दिनांक :— 15/01/2025

अनवान

1. भगवतसिंह पिता अर्जूनसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद, राजस्थान
2. राजेन्द्र पिता हरिसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद, राजस्थान
3. विरेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद, राजस्थान
4. शैलेन्द्रसिंह पिता भोपालसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद, राजस्थान

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. कस्तुरीदेवी पत्नी भूरसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद, राजस्थान
3. भूरसिंह पिता हामसिंह जाति रावत आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद, राजस्थान

—अप्रार्थी

उपस्थित :—
वादी की ओर से — श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से — पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ भू.अभि.नि. देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जो जिसके पुराने खसरा नम्बर 2136/1 रकबा 7 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 2358 क्षैत्रफल 1.5100 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जो वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी पूर्ण दर्ज है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार मालिक हैं एंव उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड राजस्व नक्शे मे जो प्रार्थीगण की भूमि का जो नक्षा ट्रेस सेटलमेन्ट पूर्व प्रार्थीगण जहां पूर्व नक्क्षा अनुसार काबिज था को त्रुटिपूर्ण दर्ज करते हुए विपक्षी सं. 02 से 03 के नाम गलत तरमीम कर दिया हैं उक्त राजस्व नक्शे में गलत अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस एंव रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नवीन खसरा नम्बर में भूमि को गलत तरमीम करते हुए प्रार्थीगण जहां काबिज है व सेटलमेन्ट पूर्व नक्क्षा अनुसार मौके पर बेठे हुए है उस स्थान पर विपक्षी सं. 02 व 03 को तरमीम कर दिया है जो त्रुटीपूर्ण है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी परन्तु अभी प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस निकलवाई तब प्रार्थीगण को राजस्व नक्शे में उक्त त्रुटी की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थीगण ने जमाबन्दी नकल एंव राजस्व नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो पता चला कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे में त्रुटी हैं और प्रार्थी के नवीन खसरा नम्बर वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज हैं जो त्रुटीपूर्ण

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

दर्ज है तथा प्रार्थीगण वर्तमान में पूर्व जमाबंदी एंव नक्शा ट्रेस अनुसार काबिज हैं वहां पर सेटलमेन्ट विभाग ने विपक्षीगण के नाम की खातेदारी भूमि जिसके पुराने खसरा सं. 5083/2136 व नये खसरा नं.2357 को गलत तरमीम कर दी हैं को सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबंदी अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम कर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के वास्तविक एंव सभी दस्तावेज राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है के अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं उसी स्थान पर प्रार्थीगण की सेटलमेन्ट पूर्व जमाबंदी एंव नक्षा ट्रेस अनुसार भूमि को अंकित कर दर्ज किया जावें। उक्त गलत तरमीम एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी की वजह से प्रार्थीगण को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटी वश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार जिस स्थान पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा हैं उसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन करा दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती का आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण जब उक्त राजस्व नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटी की शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहूंचे तो वहां पर जानकारी हुई कि राजस्व रिकॉर्ड एंव नक्शा ट्रेस में शुद्धि के लिये दावा करना पडेगा जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136,131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। जो त्रुटी राजस्व ट्रेस में की गई हैं उसे पुराने जमाबन्दी रेकार्ड एंव पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार तथा मौके पर कब्जे अनुसार विशुद्ध करने के लिये श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पुराने खसरा सं. 2136/1 जिसके नवीन खसरा सं. 2358 राजस्व नक्षे में गलत तरमीम हैं के स्थान पर पुरानी जमाबन्दी एंव पुराने नक्शा ट्रेस एंव मौके पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड अनुसार अंकन कर विशुद्ध किये जाने का आदेश प्रदान करावें कि राजस्व रेकार्ड और राजस्व नक्शा ट्रेस की सेटलमेन्ट पूर्व की स्थिति कायम कराई जावें एंव प्रार्थीगण वर्तमान में जहां पूर्व की जमाबंदी और राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस अनुसार काबिज हैं उसी स्थान पर नये नम्बर को राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का देवगढ़ की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उल्लेखित है कि ग्राम देवगढ़ की गत जमाबन्दी खाता संख्या 1151 में आराजी संख्या 2136/1 रकबा 07 बीघा खातेदार राजेन्द्रसिंह पिता हरीसिंह 1/2 शैलेन्द्रसिंह पिता भोपालसिंह 1/6 विरेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह 1/6 भगवतसिंह पिता अर्जनसिंह 1/6 राजपूत सा देह खातेदार दर्ज था। ग्राम देवगढ़ में वक्त सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी संख्या 2136/1 रकबा 07 बीघा के नवीन आराजी संख्या 2358 रकबा 1.51 हैक्टेयर बनाये गये। ग्राम देवगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 1632 में

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

आराजी संख्या 2358 रकबा 1.5100 हैक्टेयर राजेन्द्रसिंह पिता हरीसिंह 1/2 शैलेन्द्रसिंह पिता भोपालसिंह 1/6 विरेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह 1/6 भगवतसिंह पिता अर्जनसिंह 1/6 राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खातेदार पुराने राजस्व नक्शे व राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। नवीन राजस्व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वक्त तरमीमी सेटलमेन्ट नवीन आराजी संख्या 2358 तरमीम किया जो पूर्व के राजस्व नक्शे से भिन्न तरमीम कर दी गई है। पुराने राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थी खातेदार वर्तमान राजस्व नक्शेनुसार आराजी संख्या 2357 पर काबिज है। आराजी संख्या 2357 रकबा 1.5100 हैक्टेयर कस्तुरीदेवी पत्नी भूरसिंह हिस्सा 1/2 भूरसिंह पिता हामसिंह हिस्सा 1/2 जाति रावत सा देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 2136/1 रकबा 07 बीघा भूमि जिसके नवीन आराजी संख्या 2358 रकबा 1.5100 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के खातेदारी भूमि जिसके पुराने आराजी संख्या 5083/2136 व

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

जिसके नवीन आराजी संख्या 2357 जिसका रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 पुराने राजस्व नक्शे व रिकॉर्ड अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वर्तमान सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना मौके की जांच पड़ताल किये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे त्रुटिर्पूर्ण अंकन करते हुए प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की खातेदारी भूमि में इन्द्राज कर दिया गया है। प्रार्थीगण सेटलमेन्ट से पुर्व राजस्व नक्शे/खसरा नक्शा अनुसार मोके पर काबिज है व सेटलमेन्ट से पुर्व राजस्व नक्शे को वर्तमान मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त त्रुटि व गलती से से प्रार्थीगणो को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। उपरोक्त भुमि पर मोके पर राजस्व के पुर्व के नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण काबिज है। पैरोकार सरकार ने पटवारी पटवार हल्का देवगढ़ द्वारा पेश रिपोर्ट की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

"राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प06(12)राज 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 जो मूलतः धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 से जुड़ा है। उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी का जो भी अंकन भू–प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है उसे नये रिकॉर्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजाता को बदलने को आदेश ना हो। भू–प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू–प्रबंध के दौरान बदले गये होतो उनकी दुरस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनों के दुरस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं होगा।"

(अ) प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों की माननीय न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को समझना उचीत प्रतीत होता है।

(1) 1996 आर0बी0जे0 पृष्ठ 8: ख्याली व अन्य बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान व अन्य(उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

(2) 2003 आर0बी0जे0 पृष्ठ 118: रूपनारायण बनाम कजोड़मल

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-
Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- In this case during the settlement operations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ की ओर से प्रस्तुत पटवारी पटवार हल्का देवगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि राजस्व ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में पुराने आराजी संख्या 2136/1 रकबा 07 बीघा के नवीन आराजी संख्या 2358 रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि को सेटलमेन्ट पूर्व की स्थिति अनुसार

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में जरिये इन्द्राज शुद्धि के आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तरमीम की विधिसम्मत कार्यवाही करें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द